



(☎ 022-22862703)  
ई-मेल/e-mail-[irw@dae.gov.in](mailto:irw@dae.gov.in)  
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2202 6728

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
औ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No. 7/5/2013/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/4।6

नवंबर/November 6, 2013

**कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM**

**विषय :** सीएचएसएस सुविधा के मुख्य लाभधारियों के परिवार के सदस्यों को पुराने/नये मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थान पर सीएचएसएस सुविधा दिये जाने के संबंध में-  
**Sub :** **Extension of CHSS facility to family members of prime beneficiary at the place other than old/new headquarters - reg.**

सीएचएसएस सुविधा के मुख्य लाभधारियों से दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी एवं बच्चे) को पुराने/नये मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थान पर सीएचएसएस सुविधा दिये जाने के संबंध में इकाइयों से प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हो रहे हैं।

Department has been receiving proposals from Units requesting to extend CHSS facility to the family members (spouse and children), staying away from the prime beneficiary, at the place other than old/new Headquarters.

2. विस्तृत जांच के बाद, सीएचएसएस के मुख्य लाभधारियों के पुराने/नये मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थान पर रह कर अध्ययन करने वाले केवल बच्चों की सीएचएसएस सुविधा को शिथिल कर उन्हें वहां पर सीएचएसएस सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे मामलों में चिकित्सा सुविधा दिए जाने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष तक अथवा विवाह होने तक अथवा रोजगार मिलने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। तथापि, मुख्य लाभधारियों के अन्य परिवार के सदस्यों जो पुराने/नये मुख्यालयों के अलावा अन्य स्थान पर रह रहे हों, उनके लिए यह शिथिलता लागू नहीं होगी।

After detailed examination, Department has decided to relax and extend the CHSS facility to only children who are staying away from the prime beneficiary at a place other than old/new Headquarters to pursue studies. The period of extension of medical facility in such cases will be upto the age of 25 years of the child or gets married or gets gainful employment, whichever is earlier. However, the relaxation is not applicable to the other family members, who are staying away from the prime beneficiary at a place other than old/new Headquarters.



3. इकाई के प्रमुख अपने इकाई में ऐसे मामलों पर निर्णय लेने हेतु उपरोक्त नियम के अधीन कार्रवाई कर सकते हैं।

Head of the Unit may consider such cases at unit level for a decision subject to the above ruling.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(स्वाति पाण्डेय Swati Pandey)  
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

**सभी सीएचएसएस के प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities :**

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल Director (HR), NPCIL
- (12) प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम  
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

**प्रतिलिपि Copy to :**

- (1) सभी इकाइयों के प्रधान All Heads of Units
- (2) सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC, Secretary, DAE
- (4) अपर सचिव के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.

- (6) सचिव स्टाफ साइड, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (7) महा सचिव, नाफी General Secretary, NFAEE
- (8) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (9) सहायक निदेशक (राभा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE